न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:356/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00215)

1. प्रताप सिंह पुत्र चंदूराम, जाति जाट निवासी बुडानिया कृषि फार्म, हेतमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रदीप पुत्र नौरंग सिह, जाति जाट,
2. बनारसी देवी पत्नी नौरंग सिंह, जाति जाट, निवासी हेतमसर, तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. राजवीर सिंह पुत्र श्री दयानन्द जाट, निवासी चतरपुरा, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. तहसीलदार, तहसील झुन्झुनू, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 35/2017 अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम हेतमसर तहसील झुन्झुनू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 533 रकबा 2.83 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536 रकबा 1.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 545 रकबा 1.99 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.89 हैक्टयर का अपीलान्ट खातेदार है तथा भूमि खसरा नम्बर 532 रकबा 2.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536 रकबा 3.00 हैक्टयर के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा खसरा नम्बर 534 रकबा 2.35 हैक्टयर का खातेदार रेस्पाडेन्ट संख्या 3 राजवीर है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी के खेत हाल खसरा नम्बर 533 व 545 की सीमाज्ञान करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेनट संख्या 4 ने दिनांक 21.04.2017 को नपती हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया जिसकी पालना मे दिनांक 03.05.2017 को हल्का पटवारी के द्वारा सीमाज्ञान किया गया तथा नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू डी से सी हाल खसरा नम्बर 532 व 533 के मध्य की सीमा माना जावें, फर्द नपती रिपोर्ट दिनांक 03.05.2017 के मुताबिक नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु बी से सी 20 मीटर चौडाई एवं बिन्दू ए से डी 12 मीटर चौडाई की जमीन अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 533 खसरा नम्बर 532 के अधिक शामिल होना मिली तथा नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू डी–जी–एच–आई की तीन मीटर जमीन खसरा नम्बर 533 की खसरा नम्बर 556 में शामिल होना फर्द रिपोर्ट में अकित है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है किसी सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2017 के मुताबिक अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को पत्थरगढी के बाबत दिनांक 18.05.2017 को कहा तो इन्कार हो गये इसलिये फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2017 के मुताबिक नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू बी से सी एवं ए से डी तथा ए से जी व जी से एच तक एच से आई के खसरा नम्बर 533 व 545 की पुख्ताा सीमाचिन्ह की पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिस बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कतई अनुचित व अवैध अपीलाधीन निर्णय पारित कर भंयकर कानूनी गलती है क्योंकि अधीन्स्थ न्यायालय ने अपील सही तथ्यों रिकार्ड वं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का ने पक्षकारान की उपस्थिति मे वर्तमान में उपलब्ध नक्शे के आधार पर दिनांक 03.05.2017 को सीमाज्ञान की कार्यवाही कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है जिससे सीमाज्ञान विवाद होना स्पष्ट है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी का आदेश प्रदान न कर अनुचित व अवैध रूप से मनमाने निर्णय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2018 को निरस्त किया जावे व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र गलत प्रस्तुत कर गलत रूप से तथाकथित सीमाज्ञान करवाया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सीमाज्ञान मे कोई सहमति नही रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की मौजूदगी में कभी कोई सीमाज्ञान नही किया गया तथा नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू ए से बी हाल खसरा नम्बर 532 व 533 के मध्य की सीमा का नजरी नक्शा मनगढंत रूप से बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ गलत रूप से पेश किया है, प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के साथ स्वनिर्मित नजरी नक्शा प्रस्तुत करने का प्रावधान नही है, अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि फर्द नपति रिपोर्ट दिनांक 03.05.2017 के मुताबिक नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु बी से सी 20 मीटर चौडाई एवं ए से बी 2 मीटर चौडाई की जमीन आवेदन के खेत खसरा नम्बर 533 की खसरा नम्बर 532 मे अधिक शामिल होना मिली हो तथा नजरी नक्श में दर्शित बिन्दु ए एफ ई जी की 3 मीटर जमीन खसरा नम्बर 533 की खसरा नम्बर 556 में शामिल होना फद्र रिपोर्ट में अंकित हो तथाकथित सीमाज्ञान फर्द मुताबिक कानून नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने तथाकथित मौका फर्द सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा धारा 111 सपठित धारा 128 भू रजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का की तथाकथित नपति रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत नही किया जा

सकता, प्रार्थना पत्र में सीमा विवाद के आवश्यक तत्व दर्ज नही है अपीलान्ट की प्लीडिंग के मुताबिक व तथाकथित सीमाज्ञान की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट का जमीन पर भौतिक कब्जा नही है और ऐसी सिूरत में अपीलान्ट को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखली के दावे के लिए वाद कारण है और वर्तमान प्रार्थना पत्र व अपील के लिए वाद कारण नही है प्रकरण में कोई सीमा विवाद नही है तथा प्रकरण में सीमा का निर्धारण भी नही होना है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए है, हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार के आदेश दिनांक 21.04.2017 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा भूमि वादग्रस्त का सीमाज्ञान किया गया है जिसके आधार पर काश्तकार को अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के विधिक अधिकार भी उन्हे अधिनियम में प्रदत्त किये गये है किन्तु अधीनस्थ न्ययालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 के विचाराधीन होने का तथ्य अंकित किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2018 पारित किया गया है चूँकि उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष उक्त विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का दिनांक 24.03.2021 को निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय 3 माह में पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।